

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2023/ 3518

दिनांक :
21.03.23

सेवा में,

प्रबन्धक,
लाघी देवी महिला महाविद्यालय,
चकहबिबुल्ला, मिठठापारा, गाजीपुर।

विषय:—स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सन्दर्भ में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 01.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त मा० कुलपति जी ने शासनादेश दिनांक—09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 एवं 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 अथवा 05 वर्ष की सविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पद
डॉ० तीर्थमणि त्रिपाठी	श्री राजेश्याम त्रिपाठी	01.09.1968	एम०ए०, पी-एच०डी०	प्राचार्य

आधार संख्या—612062385345

अतः उपरोक्त को सुरंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं सविदा पत्र की प्रति प्राचार्य एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड संख्या सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्राचार्य के लिए अशदायी भविष्य निधि (कान्फ्रिब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण पत्र/पी-एच.डी. प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन किया जाता है।

भवदीय


कुलसचिव
21/3/23

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2022/2075
दिनांक: 12.09.22

सेवा में,

प्रबन्धक,
लाची देवी महिला महाविद्यालय,
चकहबिबुल्लाह, मिट्टनपारा, गाजीपुर।

विषय:— स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में प्रवक्ताओं के पद पर अभ्यर्थियों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-01.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति जी के आदेश दिनांक 24.08.2022 के अनुक्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 तथा 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु प्रवक्ता के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि उक्त अनुमोदन सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	विषय/पद नाम
1.	श्री विष्णु प्रभाकर आधार नं०-983916451356	श्री पौहारी राम	28.07.1978	एम0ए0, नेट	प्रवक्ता हिन्दी
2.	श्री संजीव कुमार पटेल आधार नं०-555416004344	श्री बालकरन पटेल	15.07.1990	एम0ए0, नेट	प्रवक्ता भूगोल
3.	श्रीमती बीनू देवी आधार नं०-499902850794	श्री भागीरथी	20.05.1992	एम0ए0, नेट	प्रवक्ता समाजशास्त्र
4.	संगीता सिंह आधार नं०-859844997376	श्री हरिश्चन्द्र सिंह	15.09.1992	एम0एस0सी0, नेट	प्रवक्ता गृहविज्ञान
5.	श्री रविन्द्र कुमार यादव आधार नं०-601278111004	श्री राजदेव यादव	20.07.1986	एम0ए0, नेट	प्रवक्ता शिक्षाशास्त्र
6.	डॉ० रवि कुमार यादव आधार नं०-578962071796	श्री सुदामा प्रसाद यादव	11.04.1989	एम0ए0, पी0एच0डी0	प्रवक्ता अंग्रेजी
7.	डॉ० जय सिंह आधार नं०-737651100464	स्व० मदन लाल यादव	27.06.1978	एम0ए0, पी0एच0डी0	प्रवक्ता राजनीतिशास्त्र

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा विभागाध्यक्ष के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्स्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2024/ 6683
दिनांक : 30.03.24

सेवा में,

प्रबन्धक,

लाची देवी महिला महाविद्यालय,
चकहबीबुल्लाह, मिटठापारा, गाजीपुर।

विषय:—नवगठित प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 23.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि लाची देवी महिला महाविद्यालय, चकहबीबुल्लाह, मिटठापारा, गाजीपुर की दिनांक 08.10.2023 को नवगठित प्रबन्ध समिति को महाविद्यालय की प्रशासन योजना के अनुसार पाँच वर्ष हेतु (दिनांक 08.10.2023 से 07.10.2028 तक), मा० कुलपति जी ने विचारोपरान्त उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 2(13) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान करने की कृपा की है -

क्र. सं.	नाम	पिता/ पति का नाम	पता	पद नाम
1	श्री कमलेश यादव	श्री देवचन्द यादव	ग्राम-सलेमपुर, पोस्ट-वाजिदपुर, गाजीपुर।	अध्यक्ष
2	श्रीमती उर्मिला देवी	पुत्री श्री मोतीलाल सिंह पत्नी श्री चन्द्रिका यादव	ग्राम-मिटठापारा, पोस्ट-कटैला, गाजीपुर। ग्राम व पोस्ट-बुजुर्गा, गाजीपुर।	उपाध्यक्ष
3	श्री सुधीर यादव	श्री कैलाश सिंह यादव	ग्राम-मिटठापारा, पोस्ट-कटैला, गाजीपुर।	प्रबन्धक
4	श्री रामनगीना यादव	श्री अलीयार	ग्राम व पोस्ट-मलिकपुरा, गाजीपुर।	उप सचिव
5	श्री यशवन्त यादव	श्री सिरपति यादव	ग्राम-मिटठापारा, पोस्ट-कटैला, गाजीपुर।	सदस्य

उपरोक्त प्रबन्ध समिति में प्राचार्य पदेन सदस्य होंगे तथा शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व चक्रानुक्रम में ज्येष्ठता क्रम में सम्बद्ध परिनियमों में अधिकथित प्राविधानों के अनुसार होगा।

भवदीय,

कुलसचिव